



समक्ष श्रीमान् राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

रिक्त 964-PBR/14

पुनर्विलोकन प्रकरण क्रमांक /2014

हरेकृष्णा कालोनाइजर प्रा.लि.

द्वारा प्रबंध संचालक

रामनाथ शर्मा पुत्र एस.एल.शर्मा

निवासी - ई-5/137, अरेरा कालोनी, भोपाल

.....आवेदक

विरुद्ध

1. मध्यप्रदेश शासन
2. प्रदीप कुमार सूरी पुत्र एस.एल.सूरी
3. मुकेश कुमार सूरी पुत्र रामलाल सूरी
4. विनोद कुमार सूरी पुत्र रामलाज सूरी
5. श्रीमती प्रकाश कुमार पत्नी आर.एस.सूरी
6. अनिल कुमार पुत्र गुड्डाराम सूरी

दो लगायत छह निवासीगण - जी-122, श्वेता कॉम्प्लेक्स

ई-8, भरत नगर, भोपाल

.....अनावेदकगण

पुनर्विलोकन अंतर्गत धारा 51 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता विरुद्ध

आदेश दिनांक 26.12.2013 पारित अंतर्गत प्रकरण क्रमांक निगरानी

2242-पीबीआर/2012 (पीठासीन माननीय श्रीमान स्वदीप सिंह

अध्यक्ष, राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर) पक्षकारगण हरेकृष्णा

कालोनाइजर विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन व अन्य

अधीक्षक  
कार्यालय कांमिश्नर  
भोपाल संभाग, भोपाल

964-PBR/14

पुनर्विलोकन प्रकरण क्रमांक निगरानी  
2242-पीबीआर/2012  
दिनांक 27/11/14

30-10-14

वि. शि. ५८  
आविदेक सूचना उपरान्त अनुपस्थित) तीनवार पुकार लगवाई गई। प्रकरणा आविदेक की अनुपस्थिती में अद्यम परवी समाप्त किया जाता है।  
अ. प्र. ५८